–:: विज्ञापन ::–

पंचायतराज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल का ज्ञापन क्रमांक/9088/पं.रा./स्था.–2/एफ–6/मु./2024 भोपाल दिनांक 15.07.2024 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक WP 7275/2019 National Federation of the Blind MP Branch विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2024 के अनुपालन में छतरपुर जिले में दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से किए जाने हेतु निर्धारित अर्हता एवं शर्तों के अनुसार दिनांक 17.01.2025 तक आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों की सत्यापित प्रति के साथ जिला पंचायत कार्यालय छतरपुर में कार्यालयीन समय पर व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, आवेदन के लिए कोई शुल्क देय नही है

क्रमांक	वर्गवार आरक्षण की जानकारी	दृष्टिबाधित या निम्न दृष्टि	श्रवणबाधित	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्टरोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लार्निंग डिसेबिलिटी और मानशिक बीमारी और बहुविकलांग	रिक्त पदों की संख्या
1	अनुसूचित जाति के आरक्षित पद संख्या–2	02				02

ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तों का विवरण:–

1. ग्राम पंचायत सचिव रूपए 10000/–(दस हजार रूपए मात्र) प्रतिमाह मानदेय पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी। 02 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान रूपए 5200–20200+1900ग्रेड वेतन देय होगा।
2. आवेदक छतरपुर जिले का मूल निवासी होना चाहिए।
3. आवेदक ने 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो एवं ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 35 वर्ष से अधिक न हो।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन तथा महिला अभ्यर्थियों को शासन निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी।
5. दिव्यांगता की चार श्रेणियों में से किन्ही दो श्रेणियों में से अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा अर्थात एक ही श्रेणी के अभ्यर्थियों का दोनों पद पर चयन नहीं किया जायेगा।
6. निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
7. आवेदक को ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं शर्तें नियम 2011 अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं वॉक–इन–इंटरव्यू के आधार पर की जायेगी।
8. आवेदक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा मुक्त विश्वविद्यालय का कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा (कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण) होना अनिवार्य है।
9. प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात् प्रचलित नियमों के अनुसार हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग के आधार पर प्रवर्गवार अवरोहीक्रम में मेरिट सूची तैयार की जायेगी तथा मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव और सेवा की शर्तें) नियम 2011 एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत चयन किया जायेगा।

MPPLR
MPPLR

10. चयनित व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी/तामील होने पर यदि वह 15 दिन में नियुक्त स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो उक्त स्थिति में प्रतीक्षा सूची में कमांक 01 पर शामिल व्यक्ति के नाम का नियुक्ति आदेश जारी किया जाकर तामील करवाया जाएगा।
11. प्रतीक्षा सूची एक वर्ष तक के लिए वैध रहेगी। इस दौरान रिक्त हुए पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जायेगी।
12. आवेदन पात्र पाये जाने पर आवश्यकतानुसार वॉक इन इंटरव्यू की सूचना उनके आवेदन में दर्शाये गये वर्तमान पत्र व्यवहार के पते पर दी जावेगी।
13. जो आवेदक पूर्व से नियोजित हैं उन्हें आवेदन के साथ अपने नियोजक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
14. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, निःशक्तता का जिला चिकित्सालय के मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र (निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो) मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
16. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व आवेदक का चरित्र सत्यापन, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त किया जावेगा। ऐसे चयनित व्यक्ति जिनके संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होगी उन्हें चयन सूची से पृथक कर दिया जावेगा।
17. नियुक्त व्यक्ति के कर्तव्य पर उपस्थित होने पर उसके शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण–पत्रतथा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र को जारीकर्ता कार्यालय भेजकर सत्यापन कराया जावेगा।
18. चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का जिला स्तर पर गठित मेडीकल बोर्ड से मेडीकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात् ही की वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।
19. कोई भी आवेदक जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
20. आवेदक द्वारा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया गया हो, वह अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।
21. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
22. आवेदक को आवेदन पत्र में रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो लगाना अनिवार्य है।

MPPLR

–:: ग्राम पंचायत सचिव के पद के लिए आवेदन का प्रारूप ::–

रंगीन फोटो
पासपोर्ट
साईज

1. आवेदक का नाम..
2. पिता/पति का नाम...
3. जन्मतिथि अंकों में..............................शब्दों में...
4. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांक का प्रतिशत...
5. अन्य योग्यता...
6. कम्प्यूटर डिप्लोमा..
7. जाति/वर्ग...
8. विवाहित/अविवाहित...विवाह दिनांक....................................
9. यदि विवाहित हो तो बच्चों की संख्या....................तथा सबसे छोटे बच्चे की जन्मतिथि....................
10. पत्राचार का पता...
....पिन कोड..............................
11. स्थाई पता..
....पिन कोड..............................

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त समस्त विवरण मेरे संज्ञान के अनुसार सत्य है। उपरोक्त विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी निरस्त समझी जावेगी, जो मुझे बिना शर्त मान्य होगी।

दिनांक..................................

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम..................................
दूरभाष/मो.नं..............................

टीप :आवेदन पत्र में दर्ज कोई भी असत्य जानकारी ग्राम पंचायत सचिव के पद हेतु अपात्रता होगी।